<u>**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू**</u>

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 2/2022
सुरेश पुत्र धन्नाराम, उम्र 47 साल, जाति मेघवाल, निवासी जखोडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
—— अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश कुमार पुत्र भींवाराम, जाति जाट,
2. सुरेश कुमार पुत्र रामूराम, जाति जाट,
3. विघा देवी पत्नि धन्नाराम, जाति मेघवाल,
4. प्रिंयका पुत्री धन्नाराम, जाति मेघवाल,
5. पंकज पुत्र बनेश कुमार, जाति मेघवाल
   निवासीगण जखोडा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.01.2021 बअदालत तहसीलदार चिडावा उनवानी मु0 सुरेश कुमार बनाम मुकेश कुमार वगैरह आवेदन पत्र अ0धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955, मु0न0 1/2020

——

उपस्थितः—
1. श्री संजीव कुमार सिंघल, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अशोक लाम्बा, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री विवेक शर्मा, एडवोकेट— रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 की ओर से।
4. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक —रेस्पोडेन्ट सं0 6 की ओर से।

<u>**आदेश**</u>

दिनांक 27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपीले तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 29.01.2021 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ग्राम जखोडा तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं की सरहद मे भूमि हाल खसरा नम्बर 136 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 137 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 141 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.20 [illegible] 2.180 हैक्टर स्थित है। उक्त वर्णित भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स नं0 3 लगायत 5 [illegible] काश्तकारी की भूमि है। जिसमे अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 3 लगायत [illegible] 1/4 हक व हिस्सा है। और अपने हक व हिस्से के अनुसार काबिज काश्तकार [illegible] के पड़ौस मे रेस्पोन्टस [illegible] व 2 का खेत है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति [illegible] नं0 1 व 2 स्वर्ण जा[illegible]भाव शाली व्यक्ति है। इसलिए अपने प्रभाव के कारण अपीलान्ट की जमीन [illegible] जबरन कब्जा करने क[illegible] से पुख्ता निर्माण कार्य करने के आशय से भवन निर्माण सामग्री डालने लगे। जिस पर अपीलान्ट द्वारा मना किया तो मरने मारने पर आमदा हो गया। और जासन से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत अपीलान्ट द्वारा पुलिस व अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत की। और अदालत मातहत के समक्ष धारा 183 बी राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की मांग की। जिस पर अदालत मातहत ने कोई प्रभावी कार्यवाही नही कर रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 के प्रभाव मे आकर निर्णय दिनांक 29.01.2021 पारित कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट निम्न आधारो पर अपीहल प्रस्तुत कर रहा है कि अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 29.01.2021 विरूद्व कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट्स नं0 3 लगायत 5 जमीन जैर बहस मे अपने हक व हिस्से के अनुसार काबिज काश्तकार है। जिनके मध्य कोई विवाद नही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 अपीलान्ट के हक व हिस्से मे आई भूमि के पडौसी होने के कारण तथा जमीन जैर बहस सडक के पास व गांव के पास स्थित होने के कारण रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 प्रभावशाली व्यक्ति हरोने के कारण गलत रूप से अपीलान्ट की जमीन पर कब्जा कर पुख्ता निर्माण कर लिया। इस तथ्य पर अदालत मातहत ने गौर नही कर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 29.01.2021 मे आधार मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को मानकर निर्णय पारित किया है। जबकि पटवारी हल्का मौका पर न जाकर अपने पास राजस्व रिकार्ड के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दी। जबकि कानूनन पटवारी हल्का मौके पर जाता है और मौके पर पक्षकारान् या अन्य गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष रिपोर्ट तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करवाता है। परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर न तो कोई हस्ताक्षर है और न ही यह दर्ज है कि कब मौके पर गया और कब रिपोर्ट तैयार की है। इस पर अदालत मातहत ने गौर नही कर निर्णय दिनांक 29.01.2021 पारित किया है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2021 के यह कहीं भी अंकित नही किया है कि रेस्पोडेन्ट्स गणों को नोटिस जारी किये गये और उनकी ओर से जबाब वगैरह आया हो। इस प्रकार से स्पष्ट जाहिर है कि अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 लगायत 5 को कोई नोटिस जारी नही किया और न ही उनकी ओर से कोई जबाब आया है। जबकि दिनांक 21.12.2020 को रेस्पोन्ट्स नं0 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए और वकालतनामा के लिए अवसर चाहा गया है। जबकि उनकी ओर से न तो वकालतनामा लिया गया है और न ही जबाब है। दिनांक 05.01.2021 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट आने पर दिनांक 21.01. 2021 के आदेश मे पत्रावली रख दी गई है। इस प्रकार से अदालत मातहत ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर गलत रूप से आदेश पारित किया है। जो विधि व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। पटवारी हल्का ने विवादित खसरा नम्बरों का न तो सीमा ज्ञान किया है और न ही अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 मे कहीं पर भी अंकित किया है कि मैने उक्त खसरा नम्बर का सीमा ज्ञान किया हो और पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर विवादित खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करवाता तो सही स्थिति अदालत मातहत के समक्ष आ जाती। इससे स्पष्ट है कि रेसपेडेन्ट्स नं0 1 व 2 द्वारा जबरन अपीलान्ट की जमीन पर कब्जा किया है। इस प्रकार से अदालत मातहत ने धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न तो कोई कार्यवाही की है और न ही आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा का आदेश दिनांक 29.01.2021 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 द्वारा वर्णित धारा 1 की कृषि भूमि मे किये गये कब्जे की मौका रिपोर्ट मंगवाकर जाकर कब्जे से बेदखल किया जावे तथा नाजायज रूप से किये गये निर्माण कार्य का रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 के खर्चे से तुडवाया जाकर अपीलान्ट का कब्जा दिलाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी ग[illegible] ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि आ[illegible] रेस्पोडेन्ट्स नं0 3 लगायत 5 जमीन जैर बहस मे अपने हक व हिस्से के अनुसार [illegible] विवाद नही है। किन्तु रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 अपीलान्ट के हक व [illegible] पडौसी होने के कारण तथा जमीन जैर बहस सडक के पास व गांव के पास स्थित [illegible] नं0 1 व 2 प्रभावशाली व्यक्ति हरोने के कारण गलत रूप से अपीलान्ट की जमीन पर कब्जा कर पु[illegible] निर्माण कर लिया। अदालत मातहत ने निर्णय दिनांक 29.01.2021 मे आधार मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को मानकर निर्णय पारित किया है। जबकि पटवारी हल्का मौका पर न जाकर अपने पास राजस्व रिकार्ड के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर दी। जबकि कानूनन पटवारी हल्का मौके पर जाता है और मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनू

पक्षकारान् या अन्य गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष रिपोर्ट तैयार कर उस पर हस्ताक्षर करवाता है। परन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर न तो कोई हस्ताक्षर है और न ही यह दर्ज है कि कब मौके पर गया और कब रिपोर्ट तैयार की है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 29.01.2021 के यह कहीं भी अंकित नही किया है कि रेस्पोडेन्ट्स गणों को नोटिस जारी किये गये और उनकी ओर से जबाब वगैरह आया हो। इस प्रकार से स्पष्ट जाहिर है कि अदालत मातहत ने रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 लगायत 5 को कोई नोटिस जारी नही किया और न ही उनकी ओर से कोई जबाब आया है। जबकि दिनांक 21.12.2020 को रेस्पोन्ट्स नं0 1 व 2 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए और वकालतनामा के लिए अवसर चाहा गया है। जबकि उनकी ओर से न तो वकालतनामा लिया गया है और न ही जबाब है। दिनांक 05.01.2021 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट आने पर दिनांक 21.01. 2021 के आदेश मे पत्रावली रख दी गई है। इस प्रकार से अदालत मातहत ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर गलत रूप से आदेश पारित किया है। पटवारी हल्का ने विवादित खसरा नम्बरों का न तो सीमा ज्ञान किया है और न ही अपनी रिपोर्ट दिनांक 05.01.2021 मे कहीं पर भी अंकित किया है कि मैने उक्त खसरा नम्बर का सीमा ज्ञान किया हो और पटवारी हल्का द्वारा मौके पर जाकर विवादित खसरा नम्बर का सीमाज्ञान करवाता तो सही स्थिति अदालत मातहत के समक्ष आ जाती। इससे स्पष्ट है कि रेसपेडेन्ट्स नं0 1 व 2 द्वारा जबरन अपीलान्ट की जमीन पर कब्जा किया है। इस प्रकार से अदालत मातहत ने धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार न तो कोई कार्यवाही की है और न ही आदेश पारित किया है। मौके पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा का आदेश दिनांक 29.01.2021 को निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 द्वारा वर्णित धारा 1 की कृषि भूमि मे किये गये कब्जे की मौका रिपोर्ट मंगवाकर जाकर कब्जे से बेदखल किया जावे तथा नाजायज रूप से किये गये निर्माण कार्य का रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 के खर्चे से तुडवाया जाकर अपीलान्ट का कब्जा दिलाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट की अपील प्रोपर नही है। अदालत मातहत ने धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण नही बनने से इस धारा मे कोई कार्यवाही नही की है जो उचित है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 3 लगायत 5 ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अपील मे कोई दम नही है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 6 वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने मात्र आंशका के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है। अदालत मातहत का आदेश विधिसम्मत् है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जाकर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 29.01.2021 यथावत रखा जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक का यह कथन है कि अदालत मातहत ने धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रकरण नही बनने से इस धारा मे कोई कार्यवाही नही की है। अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अपील मे कोई दम नही है। अपीलान्ट ने मात्र आंशका के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है। दूसरी ओर बहस के दौरान अपीलान्ट का कथन है कि मौके पर रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 द्वारा दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय दुकान निर्माण की बात का अपील मे कोई जिक्र नही किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत तहसीलदार चिडावा का आदेश दिनांक 29.01.2021 को यथावत् रखा जाता है।

अति. कलक्टर झुन्झुनूं

यदि रेस्पोडेन्ट्स नं0 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि के मौके पर दुकानों का निर्माण किया जाता है तो अपीलान्ट नये सिरे से धारा 183 बी के अन्तर्गत चाराजोही हेतु स्वतंत्र है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:26 IST
Reason: SelfAttested